कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण
गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर– 263 145

पत्रांकः डीएएम/03/7277 दिनांकः 05-11-2026

कार्यालय आदेश

यौन उत्पीड़न (रोकथान, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0 डीएएम/03/5276 दिनांक 25.11.2023 के तहत पूर्व में गठित **"सैक्सुअल हरैसमेंट एण्ड जैण्डर जस्टिस समिति"** के स्थान पर, अब **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015** के वैधानिक प्राविधानों के अनुपालन में इस विश्वविद्यालय में महिला कर्मचारियों के लिये सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने हेतु **"आन्तरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Commitee- ICC)"** का पुर्नगठन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता हैः

1. डा0 रत्ना राय, प्राध्यापक, उद्यान विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय – अध्यक्ष।
   (Mobile No.: +91-9456123554, E-mail: ratnarai1975@rediffmail.com)
2. डा0 मनीषा रानी, सहायक प्राध्यापक, मृदा विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय – सदस्य।
   (Mobile No.: +91-8375929625, E-mail: soilsciencepantnagar@gmail.com)
3. डा0 अर्पिता शर्मा, सहायक प्राध्यापक, कृषि संचार विभाग, कृषि महाविद्यालय – सदस्य।
   (Mobile No.: +91-9639617853, E-mail: sharmaarpita615@gmail.com)
4. श्री भूपेश कबड़वाल, प्रयोगशाला सहायक, पादप रोग विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय – सदस्य।
   (Mobile No.: +91-8218570397, E-mail: bckabdwal18@gmail.com)
5. श्री विवेक सिंह, बिजनेस मैनेजर/प्रभारी अधिकारी, प्रकाशन निदेशालय – सदस्य।
   (Mobile No.: +91-7500241751, E-mail: pub.pantnagar@gmail.com)
6. सुश्री वर्षा घरोटे, – सदस्य।
   (पताः वनवासी कन्या छात्रावास, जगतपुरा, रूद्रपुर, जिला– ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड)
   (Mobile No.: +91-9410733777, E-mail: barshagharote@gmail.com)

उपरोक्त समिति का कार्यकाल उक्त कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक का होगा।

उक्त आदेश कुलपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 28.10.2026 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

5/11/26

(बी0एस0 चलाल) पी0सी0एस0
निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. डा0 रत्ना राय, प्राध्यापक, उद्यान विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय/अध्यक्ष, आन्तरिक शिकायत समिति (ICC) को उपरोक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 की प्रति सहित।
02. समिति के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ।
03. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/इकाई प्रभारी।
04. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट को इस आशय से उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अद्यतन कराने का कष्ट करें।
05. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।